only such company set up by the Government. Various factories of the company are located at Bangalore, Hyderabad, Nasik, Koraput, Kanpur, Lucknow and Barrackpore. The investment as on 31-3-1980 by way of paid-up share capital is Rs. 60 crores and by way of loan assistance from the Government of India is Rs. 67.84 crores.

(b) The following types of aircraft have been produced by HAL during the last three years:—

(i) MiG-21 series of aircraft

(ii) HS-748 aircraft

(iii) Basant agricultural aircraft

(iv) Kiran trainer aircraft

(v) Ajeet aircraft

(vi) Gnat Retromod (Phase II) aircraft

(vii) Cheetah helicopter

(viii) Chectal/helicopter

It is not in the public interest to disclose the number of aircraft produced.

(c) and (d) The utilisation of capacity in all divisions of HAL is dependent on the Defence Services and Civil Aviation. Efforts are continuously being made to ensure adequate workload for all the divisions of HAL. However, there is idle capacity in the Kanpur Division, which will be utilized for manufacture of AN-32 type aircraft recently selected for medium tactical transport role.

बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3196. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों और विधायकों ने कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिलाने में सहायता की थी जो या तो जाली हैं या 1972 के पेंशन योजना के अन्तर्गत नहीं आते;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के प्रमाण पत्र अमान्य करार दिये हैं जिनके आधार पर अनेक व्यक्तियों की पेंशन रोक दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (घ) :-- यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन केवल वास्तविक और पात्र स्वतंत्रता सैनानियों को दी जाए, मामलों की गहराई से जांच करके हर संभव सावधानी बरती गई है फिर भी इक्के दुक्के स्वतंत्रता सैनानियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे गलत और झूठी सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। यह भी ध्यान में आया है कि भूतपूर्व वर्तमान विधायकों द्वारा जारी किए गए कई प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं थे और इस प्रकार आवेदकों द्वारा झूठे आधारों पर पेंशन के दावे किए गए थे। बिहार सरकार ने भी सूचित किया है कि कुछ भूतपूर्व सांसदों/भूतपूर्व विधायकों ने ऐसे व्यक्तियों को सहकैदी होने के प्रमाण पत्र जारी किए जो वास्तविक स्वतंत्रता सैनानी नहीं थे। राज्य सरकार की सलाह पर इन व्यक्तियों द्वारा स्वयं दिए गए प्रमाण पत्रों को सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत करने की पात्रता के लए पर्याप्त तथा निर्णायात्मक साक्ष्य नहीं समझा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार की सलाह को स्वीकार किया गया है, फिर भी निर्णायात्मक रूप से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि भूतपूर्व सांसद/भूतपूर्व विधायक झूठे सह कैदी प्रमाण पत्रों जारी करने के लिए दोषी हैं। जब तक आरोप निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हो जाते हैं कोई नाम को बताना जनहित में उपयुक्त नहीं होगा।

तथाकथित अपात्र व्यक्तियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने की सभी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और उन्हें सत्यापन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। जहां इस बात के पक्के कारण हो कि झूठे स्वतंत्रता सैनानी

पेंशन का हकदार नहीं है, आगे जांच करने तक पेंशन को स्थगित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि जांच पूरी होने पर पेन्शन को रद्द किया जाता है तो गलत रूप से ली गई पेंशन को वसूल करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। जहां यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने पेंशन प्राप्त करने के लिए जाली तरीके अपनाए हैं, तो राज्य सरकार को संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की संभावनाओं पर विचार करने की सलाह दी जाती है। जाली पेंशन प्राप्त करने वीलों का पता लगाने के लिए कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से इस बात की जांच करने में कठिनाई होती है कि क्या कारावास स्वतंत्रता आन्दोलन के संबंध में था? अत: सरकार को ऐसे मामलों में आवश्यक रूप से जन सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है। सरकार की यह सुनिश्चित करने की कोशिश रही है कि पेंशन उन मामलों में स्वीकृत की जाए जिनमें दावां निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाए।

Probe in 'Kissa Kursi ka Case'

3197. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of the inquiry made against former official of the C.B.I. and Chief investigation officer in the Kissa Kursi Ka Case and the report thereof; and

(b) the action being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) No enquiry was made by the C.B.I. against the investigating officer of the Kissa Kursi Ka case.

(b) Does not arise.

Atomic Power Plants in Rajasthan

3198. SHRI D. L. BAITHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Atomic Power Plants in Rajasthan State have been put to operation; and if so, what is the present capacity with production since operation;

(b) whether it is also a fact that there are proposals to have more Atomic Power Plants at various places in the country; and

(c) if so, the names of those places and the basis/criteria on which those places have been selected for locating such Atomic Power Plants and the progress so far made in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS (SHRI C. P. N. SINGH): (a) Yes, Sir. Unit-I of the Rajasthan Atomic Power Station has been in commercial operation since December 1973 and at present, is operating at a power level of 200 MWe. Unit-I has generated around 5412 million units since commencement of operation. Unit-II has been synchronised to the grid for the first time on November 1, 1980 and is being test run to about 160 MWe and is expected to go into commercial operation by the end of March 1981.

(b) and (c). Government is considering a programme to set up some more Atomic Power Plants during the five year plan period 1980—85. Detils of the programme are being worked out.

राज्यों के कुछ जिलों से आवेदनों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए वायु सेना में पदों के लिए विज्ञापन

3199. **श्री दया राम शाक्य:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना में कुछ पदों पर भर्ती के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था जिसमें कुछ राज्यों तथा राज्यों के कुछ जिलों के अभ्यार्थियों को विशेषकर आवेदन देने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों के तथा किसी विशेष राज्य के अन्य जिलों के अभ्यार्थियों को आवेदन देने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और